

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर  
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6) / (जे-1278 / 2013) / अलेसे-III / 1563

दिनांक :- 13/12/2024

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

| क.सं. | लिंक नं. | नाम सलेअ-II<br>(श्री/श्रीमती/सुश्री) | नाम परीक्षा                                             | आयोजक संस्था                                           | वर्तमान पदस्थापन<br>कार्यालय                                |
|-------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                    | 4                                                       | 5                                                      | 6                                                           |
| 1     | 10980    | जितेन्द्र सिंह                       | M.A. (Previous)<br>भूगोल<br>वर्ष 2024-25<br>(स्वयंपाठी) | वर्धमान महावीर कोटा<br>ओपन विश्वविद्यालय,<br>राजस्थान। | उप निदेशक,<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग,<br>चूरु |

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(भूपेश माथुर)  
निदेशक एवं पदेन,  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6) / (जे-1278 / 2013) / अलेसे-III / 1563

दिनांक :- 13/12/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरु।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरु।

Signature valid



Digitally signed by Bhupesh Kumar Mathur  
Designation: निदेशक एवं पदेन  
Date: 2024.12.12 08:31 IST  
Reason: Approved